GOVERNMENT OF RAJASTHAN HOME DEPARTMENT

No.F.33(2)Home/Gr.9/2019

Jaipur, 20th September, 2020

<u>ORDER</u>

Sub: Addendum to Unlock - 4 Implementation Order dated 30th August, 2020

Implementation guidelines were issued for Unlock-4 vide Order of even no. dated 30th August, 2020. In view of increasing number of Covid positive cases in the state and to contain the outbreak of COVID epidemic in the state it is considered necessary to continue to restrict gathering and conglomeration of people. Therefore the following Amendments are made in part B Negative List/ Prohibited Activities of above guidelines:-

- 1. Activities prohibited during Unlock-4 period outside the containment zones:-
 - (v) Social/ Political/ Sports/ Entertainment/ Academic/ Cultural/ Religious funtions and other large congregations will not be permitted till 31st October,2020

However, the following will continue to be permitted in areas outside the Containment Zones:-

- (i) Marriage related gathering with wearing of face masks, social distancing, provision for thermal scanning and hand wash or sanitizer. The organizer shall:
 - a. give prior information to the concerned SDM
 - b. ensure social distancing during the function
 - c. ensure that the maximum number of guests allowed shall not be more than 50.
- (ii) Funerals/last rites related gatherings with mandatory wearing of face masks, social distancing provisions for handwash

www.rajteachers.com

or sanitizer. The maximum number of persons allowed shall not be more than 20.

Violation of any of the above conditions is an offence and punishable with heavy fine.

The District Magistrate and other authorized officers shall enforce Common Safety Prescriptions, through fines and penal action as prescribed in the Disaster Management Act, 2005/The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020.

2. Restrictions under section 144 CrPC:-

The concerned District Magistrate may further impose restrictions on the movement and gathering of 5 or more persons at public places within municipal limits of District Headquarter, based on their own assessment of Covid spread conditions.

However these restrictions will not apply on the activities permitted under guidelines issued for Unlock-4 implementation.

(Abhay Kumar)
Principal Secretary

Copy for information and necessary action to the following:

- 1. Secretary to Governor, Rajasthan
- 2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan
- 3. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
- 4. SA/PS to all Ministers/State Ministers
- 5. Dy. Secretary to Chief Secretary, Rajasthan
- 6. All Addl. Chief Secretaries/Pr. Secretaries/Secretaries
- 7. Director General of Police, Rajasthan
- 8. Director General, Jails/Home Guards, Rajasthan
- 9. All Heads of Departments
- 10. all Divisional Commissioners.
- 11. Commissioner Police Jaipur, Jodhpur
- 12. All Range IG/DIG

- 13. All Collectors.
- 14. All SPs/Police Deputy Commsioners, Jaipur/Jodhpur.
- 15. All Chief Executive Officers, Zila Parishad
- 16. All RTO/DTO, Rajasthan
- 17. DIPR, Rajasthan with a request to publicize it widely.

(N.L. Meĕna)

Secretary to Govt.

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग

कमांक प. 33(2)गृह-9/2019 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 20.09.2020

<u>आदेश</u>

विषयः अनलॉक-4 कियान्वयन समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.2020 में संशोधन।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.2020 द्वारा अनलॉक—4 के कियान्वयन हेतु गाईडलाईन्स जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड संकमितों की संख्या में हुई वृद्धि के मध्येनजर, कोविड संकमण एवं कोविड महामारी के प्रसार की रोकथाम हेतु लोगों के एकत्रित होने एवं भीड को प्रतिबंधित करने हेतु निर्णय लिया गया है। अतः आदेश दिनांक 30.08.2020 के द्वारा जारी गाईडलाईन्स के भाग—बी नकारात्मक सूची/निषद्ध गतिविधियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

- 1. अनलॉक-4 अवधि में कंटेनमेंट जोन के बाहर निषिद्ध गतिविधियां:--
 - (v) सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृति/धार्मिक कार्यक्म तथा अन्य बडे सामूहिक कार्यक्म दिनांक 31.10.2020 तक अनुमत नहीं होंगे।

तथापि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर निम्नलिखित की अनुमति जारी रहेगी:-

- (i) फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं धर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन। आयोजन कर्ता द्वारा:—
 - (1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी।
 - (2) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
 - (3) अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

(ii) अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रमः— अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं धर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्वित आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

2. घारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रतिबंध:-

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं के कोविड संक्रमण के प्रसार की परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र सीमा में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने एवं आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

तथापि ये प्रतिबंध अनलॉक-4 के कियान्वयन हेतु जारी की गई गाईडलाईन्स के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. सचिव, राज्यपाल महोदय

2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।

3. सचिव, राजस्थान विधान सभा

विशिष्ट सहायक / निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण

5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

- 6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
- महानिदेशक जेल/होमग़ार्ड।
- 9. सभी विभागाध्यक्ष।
- 10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
- 11. समस्त कलेक्टर्स।
- 12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
- 13. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।

- 14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
 15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
 16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
 17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

शासन सचिव, गृह